मुख्य मंत्री

कुमारी मायावती

का

2007-2008 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2007–2008 के बजट अनुमानों पर मुख्य मंत्री कुमारी मायावती का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2007–2008 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ ।

प्रस्तुत बजट के साथ संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए दो मास का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे सदन को पूर्ण विचार–विमर्श के पश्चात् बजट पारित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा ।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2007–08 का बजट "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर आधारित है जिससे प्रदेश की शोषित–पीड़ित और गरीब जनता के कल्याण और उत्थान का सीधा सरोकार है ।

हमारी सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त गैर–बराबरी वाली समाज व्यवस्था को बदल कर एक "समतामूलक–समाज–व्यवस्था" स्थापित करना है, जिसमें सर्वजन व सर्वसमाज का हित निहित हो । यही मंशा बहुजन समाज में समय–समय पर जन्मे सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों की भी रही है । देश में समतामूलक–समाज–व्यवस्था स्थापित करने में

खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, पेरियार जी, बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी का सराहनीय योगदान रहा है ।

"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्षों से वंचित विशाल आबादी रखने वाले समाज अर्थात अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा अन्य वर्गों में से भी गरीब लोगों को प्राथमिकता देते हुए विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये । इसी क्रम में, समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने तथा उन्हें बेहतर जीवन स्तर देने के लिए नई नीतियाँ एवं योजनायें बनाई जायेंगी ।

मान्यवर, जहाँ तक समतामूलक–समाज–व्यवस्था की स्थापना का सवाल है, हमारा यह मानना है कि यहाँ अकेले बहुजन समाज को संगठित करके समतामूलक–समाज–व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती और इसके लिए सवर्ण हिन्दुओं को भी साथ लेकर चलना होगा तभी यहाँ भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर की सोच के अनुसार समतामूलक–समाज–व्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है और इसके बाद ही, फिर सर्वसमाज, समाज के एक सूत्र में बँध सकता है तथा समाज में ऊँच–नीच व जात–पाँत का भी हमेशा के लिए अन्त हो सकता है ।

मान्यवर, बजट प्रस्तावों की चर्चा करने के पूर्व मैं संक्षेप में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करना चाहूँगी ।

इस तथ्य से सम्मानित सदस्य भलीभाँति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से देश के अधिकतर राज्यों से पिछड़ा हुआ है । प्रदेश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है । अपर्याप्त अवस्थापना सुविधायें, कम साक्षरता, शोचनीय स्वास्थ्य सुविधायें और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता से कहीं कम पूँजीनिवेश इस पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं । पिछड़ेपन के इस कुचक्र को तोड़ कर प्रदेश के समग्र विकास के लिये ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार तथा भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है । दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश की औसत विकास दर 7.6 प्रतिशत रही लेकिन उत्तर प्रदेश की विकास दर केवल 5.1 प्रतिशत रही । विकास की यह दर बहुत कम है । प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष लाने के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कृषि क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 10.5 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 12.4 प्रतिशत विकास दर रखी गई है ।

विकास दर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लगभग आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में लगभग छः लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाना होगा ।

प्रदेश की लगभग 33 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है । ग्यारहवीं योजना अवधि में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कम से कम पचास प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य रखा गया है ।

विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अवस्थापना सुविधाओं, मुख्यतः सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जायेगा, क्षमतावृद्धि की जायेगी और गुणात्मक सुधार लाया जायेगा ।

रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है । ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रदेश में कम से कम सवा करोड़ नये रोजगार सृजित किये जायेंगे ।

प्रदेश में साक्षरता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये आवश्यक कदम सुनियोजित ढंग से उठाये जायेंगे ताकि मुख्य धारा से कटे हुये और जरूरतमंद तबकों को इनका लाभ मिल सके ।

पिछली सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, छात्राओं को कन्या विद्या धन और

गरीब महिलाओं को साड़ी बाँटने जैसी योजनायें चलाकर लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश की गई । हमारी सरकार का यह मानना है कि समाज के किसी वर्ग को अनुग्रह के रूप में थोड़ी बहुत धनराशि देकर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने और उनमें सरकारी कृपा पर निर्भर हो जाने की मानसिकता को बढ़ावा देने के बजाय, उनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिये ताकि वे अपना जीवन स्तर सुधार कर आत्मसम्मान के साथ जी सकें । पैसा और साड़ी बांटने जैसी निरर्थक योजनाओं को समाप्त कर हमारी सरकार द्वारा कई रोजगारपरक योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं, जिनका लाभ बेरोजगारों और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के व्यक्ति उठा सकेंगे ।

इन सभी प्रयासों की सफलता समाज के सभी वर्गों के परस्पर सहयोग और कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों तथा प्रदेश की जनता का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा ।

अब मैं इस सम्मानित सदन को वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट के सम्बन्ध में बताना चाहूँगी ।

विकास की जिन प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का उल्लेख मैंने किया है, प्रस्तुत बजट उन्हीं पर आधारित है । इस बजट में ग्रामीण अवस्थापना के विकास पर विशेष बल दिया गया है । साथ ही, प्रदेश में बिजली

की कमी को पूरा करने और शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिये कई योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं जिनका उल्लेख मैं आगे करूँगी।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगी :–

- वर्ष 2007–08 में बजट का आकार एक लाख नौ सौ ग्यारह करोड़ रूपये (1,00,911 करोड़ रूपये) है जो पिछले वर्ष के बजट से 22 प्रतिशत अधिक है । प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो रहा है जो कि हर्ष का विषय है ।

- वर्ष 2007–08 के बजट में लगभग आठ हजार नौ सौ करोड़ रूपये (8,900 करोड़ रूपये) की 512 नई योजनायें प्रस्तावित हैं । नई योजनाओं के लिये की गयी व्यवस्था पिछले साल के बजट में नई योजनाओं के लिये की गई व्यवस्था से 37 प्रतिशत अधिक है ।

- प्रदेश में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुये पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत लगभग अट्ठारह हजार चार सौ तीस करोड़ रूपये (18,430 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2007–08 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिये लगभग तीस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ रूपये (30,777 करोड़ रूपये) का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल के आयोजनागत बजट से 39 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2007–08 के बजट में लगभग छः हजार एक सौ छियालिस करोड़ रूपये (6,146 करोड़ रूपये) की राजस्व बचत अनुमानित है जो पिछले साल के बजट में अनुमानित राजस्व बचत एक हजार एक सौ तेईस करोड़ रुपये (1,123 करोड़ रुपये) से पाँच हजार तेईस करोड़ रूपये (5,023 करोड़ रूपये) अधिक है ।

- राजकोषीय घाटा लगभग बारह हजार चार सौ पचासी करोड़ रूपये (12,485 करोड़ रूपये) रहने का अनुमान है जो पिछले साल के मूल बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे से दो सौ सत्ताईस करोड़ रूपये (227 करोड़ रूपये) कम है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2007–08 के बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष यह अनुपात 4.1 प्रतिशत था ।

इस प्रकार बजट में विकास योजनाओं के लिये आवश्यक संसाधनों का यथेष्ट एवं संतुलित आवंटन करने के साथ–साथ प्रदेश की राजकोषीय स्थिति पर अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया है ।

वर्ष 2007–08 के बजट में सम्मिलित मुख्य योजनायें

इससे पहले कि मैं विभागवार बजट प्रावधानों की चर्चा करूँ, वर्ष 2007–08 के बजट में सम्मिलित कुछ मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगी ।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना

प्रदेश में पूर्व में चलाई जा रही डॉ0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन में पिछली सरकार द्वारा यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण योजना से लाभान्वित होने वाले डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में प्रारम्भ किये गये कार्य अधूरे रह गये । हमारी सरकार द्वारा इन अधूरे पड़े कार्यों को विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जायेगा । इसके अन्तर्गत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, खड़ंजा एवं नाली आदि का निर्माण प्रमुख हैं ।

डॉ0 अम्बेडकर गाँवों के समेकित विकास हेतु "डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना" नामक एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से पाँच ग्राम सभाओं

का चयन करके उन्हें प्रमुख कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिये दस हजार करोड़ रुपये (10,000 करोड़ रुपये) से अधिक व्यय होने का अनुमान है । इन योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत साढ़े तीन हजार ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है । इसके लिये एक हजार करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण अंचलों में लगभग 3,200 किलोमीटर पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 1,000 गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य है जिसके लिये लगभग आठ सौ करोड़ रुपये (800 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण तथा पूर्व में चयनित परन्तु असंतृप्त डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण के लिये चार सौ करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने

का चयन करके उन्हें प्रमुख कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिये दस हजार करोड़ रुपये (10,000 करोड़ रुपये) से अधिक व्यय होने का अनुमान है । इन योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत साढ़े तीन हजार ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है । इसके लिये एक हजार करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण अंचलों में लगभग 3,200 किलोमीटर पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 1,000 गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य है जिसके लिये लगभग आठ सौ करोड़ रुपये (800 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण तथा पूर्व में चयनित परन्तु असंतृप्त डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण के लिये चार सौ करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने

हेतु तीन सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (377 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जिससे लगभग बीस हजार नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा सकेगा ।

- ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में ग्रामीण क्षेत्रों में नये हैण्डपम्प लगाये जायेंगे तथा पुराने हैण्डपम्पों को रीबोर कराया जायेगा । इस योजना के लिये चार सौ साठ करोड़ रुपये (460 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत खड़ंजा एवं नाली निर्माण हेतु तीन सौ बीस करोड़ रुपये (320 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण क्षेत्र में भूमिगत नाली निर्माण योजना के लिये लगभग चालीस करोड़ रुपये (40 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में लगभग ढाई लाख परिवारों के लिये आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना के लिये एक सौ साठ

करोड़ रुपये (160 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- अनुसूचित जाति आवास योजना के अन्तर्गत दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उपरोक्त योजनाओं की डव–टेलिंग केन्द्र की योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से की जायेगी जिससे केन्द्र की योजनाओं का भी लाभ प्रदेश को मिल सके । ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों में भारी वृद्धि हो जायेगी ।

हमारा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के लिये जो भारी निवेश किया जायेगा उससे न केवल इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी अपितु ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर भी सुलभ हो जायेंगे । इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जायेगा और वे मुख्य धारा से जुड़ने में सफल होंगे ।

शहरी अवस्थापना

- नगरों में बढ़ती आबादी को देखते हुये उपलब्ध जनसुविधायें अपर्याप्त हैं । नगरीय स्थानीय निकायों के पास अवस्थापना सुविधाओं के विकास और उनके रख–रखाव के लिये यथेष्ट संसाधनों का प्रायः अभाव होता है । अतः शहरी अवस्थापना के

विकास के लिये नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिये सरकार द्वारा *"माननीय कांशीराम जी नगर विकास योजना"* प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को आसान शर्तों पर सरकार द्वारा दीर्घ अवधि ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के लिये दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक तथा संग्रहालय के अवशेष कार्यों को पूरा करने और दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करने के लिए लगभग तीन सौ बाईस करोड़ रुपये (322 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- रमाबाई अम्बेडकर वाटिका को दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करने के लिए लगभग चौवालिस करोड़ रुपये (44 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सामाजिक सुरक्षा

अभी तक वृद्धावस्था / किसान पेंशन, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा विकलांग पेंशन की दर एक सौ पचास रुपये (150 रुपये) मासिक है । इतनी छोटी धनराशि इन असहाय

व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुये अत्यन्त हर्ष है कि हमारी सरकार द्वारा इन सभी पेंशनों की दरों को दो गुना करते हुये तीन सौ रुपये (300 रुपये) प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है। वृद्धावस्था / किसान पेंशन का आच्छादन बीस लाख लाभार्थियों से बढ़ाकर चौबीस लाख कर दिया गया है ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिये वर्ष 2007–08 के बजट में लगभग एक हजार चार सौ दस करोड़ रुपये (1,410 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

बिजली

प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में लगभग दो हजार मेगावाट का अन्तर है । बिजली की उपलब्धता में यह कमी इसलिये है कि पिछले एक दशक में प्रदेश में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई । पुराने विद्युत संयंत्र स्थापित क्षमता के साठ प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं और लाईन हानियाँ अत्यधिक हैं ।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता को देखते हुये हमारी सरकार ने एक तरफ ऊर्जा विभाग का बजट नौ हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये (9,209 करोड़ रुपये) कर दिया है जो पिछले साल की व्यवस्था चार हजार पाँच सौ तीस करोड़ रुपये (4,530 करोड़ रुपये) के दो गुने से अधिक है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में

निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में विद्युत गृह स्थापित किये जाने का निर्णय भी लिया गया है, जिनका उल्लेख आगे किया गया है ।

- बारा एवं करछना (इलाहाबाद) तथा दोपहा (अनपरा) में निजी क्षेत्र में विद्युत गृहों की स्थापना के लिये निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने तथा उन्हें भूमि तथा जल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन शेल कम्पनियों का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त क्षेत्र में विद्युत उत्पादन गृह लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसको प्रारम्भ करने के लिये बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण के लिये दो हजार तीन सौ चालीस करोड़ रुपये (2,340 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- प्रदेश में बिजली के संचरण एवं वितरण सुविधाओं में विस्तार और सुधार के लिये लगभग चार हजार छत्तीस करोड़ रुपये

(4,036 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये एक हजार सैंतीस करोड़ रुपये (1,037 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे प्रदेश में स्थापित विद्युत संयंत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जायेगी ।

इन सब प्रयासों से अगले एक वर्ष में एक हजार मेगावाट, अगले तीन से चार वर्षों में दो हजार आठ सौ मेगावाट तथा अगले पाँच वर्षों में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो सकेगी ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये योजनायें

- बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु तीन सौ पन्चान्वे करोड़ रुपये (395 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- प्रदेश के 30 सबसे पिछड़े जनपदों के समग्र विकास के लिये "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" से पोषित योजनाओं के लिये वर्ष 2007–08 में पाँच सौ करोड़ रुपये (500 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- सभी दलों के विधायकों द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाये जाने की

मांग की जा रही है । मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुये अपार हर्ष है कि हमारी सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करते हुये दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को स्वीकृत की जाने वाली राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर सवा करोड़ रुपये कर दी गई है । इस हेतु बजट में एक सौ छब्बीस करोड़ रुपये (126 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ।

शिक्षण संस्थायें

- अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं हेतु विभिन्न जनपदों में आश्रम पद्धति विद्यालयों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, भवन निर्माण एवं संचालन हेतु लगभग छिहत्तर करोड़ रुपये (76 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियंत्रण संस्थान का उन्नयन करते हुये तथा आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करते हुये उसे इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ साइंसेज़, बंगलौर के समान स्तर की संस्था के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- इसी प्रकार, प्रदेश के एक अभियन्त्रण संस्थान को आई0आई0टी0 के स्तर की संस्था के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिये पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिये दो नये एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जनपद अम्बेडकर नगर तथा सहारनपुर में स्थापित किये जायेंगे । इस प्रयोजन के लिये तीस–तीस करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वर्ष 2007–08 में दो नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जायेगी ।

किसानों के लिये

- विकास की रणनीति में सरकार गाँवों और किसानों की खुशहाली पर सबसे अधिक बल दे रही है । प्रदेश के कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये व्यापक सुधार की रणनीति अपनाई जायेगी ।

- कृषि योजनाओं के लिये बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुये एक हजार छः सौ सैंतालिस करोड़ रुपये (1,647 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग चार

सौ नब्बे करोड़ रुपये (490 करोड़ रुपये) नई योजनाओं के लिये है ।

- दलित एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की समस्याग्रस्त ऊसर, बीहड़ तथा बंजर भूमि को उपचारित कर कृषि योग्य बनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करने तथा बेहतर जल प्रबन्धन के उद्देश्य से किसान हित योजना प्रारम्भ की जा रही है । योजना के अन्तर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में सात लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य है । वर्ष 2007–08 के बजट में योजना हेतु एक सौ छः करोड़ रुपये (106 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- प्रदेश की खेती में जैव रसायनों का प्रयोग फसलों के कीट एवं रोग नियंत्रण में किये जाने को बढ़ावा देने के लिए लगभग छियासी करोड़ रुपये (86 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसका विशेष लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं लघु सीमान्त कृषकों को प्राप्त हो सकेगा ।

- विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की नयी योजनायें बजट में सम्मिलित की गई हैं ।

- समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल संचयन तथा बेहतर जल प्रबन्धन की नयी योजनाओं के लिए पचपन करोड़ रुपये (55 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मृदा स्वास्थ्य सुधार योजना के लिए सैंतालिस करोड़ रुपये (47 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए उर्वरकों के संतुलित प्रयोग द्वारा भूमि की उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि को "इको–फ्रेन्डली" बनाये जाने का लक्ष्य है ।

- किसानों के स्तर पर प्रमाणित बीज उत्पादन योजना के लिये लगभग छत्तीस करोड़ रूपये (36 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- रसायनिक खादों का पर्याप्त भण्डारण न होने के कारण किसानों को समय से रसायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पाती थीं । अतः रसायनिक खादों के भण्डारण के लिये प्रादेशिक सहकारी संघ को सहायता प्रदान किये जाने हेतु लगभग पन्द्रह करोड़ रूपये (15 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- प्रदेश के अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एक नई योजना, "एकीकृत विकास योजना" प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, आवास, पेयजल, सम्पर्क मार्ग, कृषि उत्थान और रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इस योजना के लिये सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है ।

- नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण पोषण के लिये लगभग दो सौ तीन करोड़ रूपये (203 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- बालिका श्री योजना का आच्छादन बढ़ाते हुये सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की कन्याओं को योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए

- सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को दिये जाने वाले महँगाई भत्ते की दर में 01 जनवरी, 2007 से छः प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महँगाई भत्ते की दर 29

प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है ।

- सरकारी वाहन चालकों को अभी तक वर्ष में एक बार 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने की व्यवस्था थी । वाहन चालकों के श्रमसाध्य दायित्वों को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार ने उन्हें एक महीने के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया है ।

रोजगारपरक योजनायें

जैसा मैंने पहले कहा है, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास पर भारी निवेश होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे । स्थानीय आबादी को इन अवसरों का लाभ दिलाने के लिये "क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन केन्द्र" खोले जायेंगे । कुछ अन्य रोजगारपरक योजनाओं का उल्लेख आगे किया गया है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने हेतु डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है । आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ।

- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो हजार ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य है जिससे छत्तीस हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये लगभग चार हजार छः सौ चौहत्तर करोड़ रुपये (4,674 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु कुल चार सौ बासठ करोड़ रुपये (462 करोड़ रुपये) की योजनाएं नयी माँग के माध्यम से प्रस्तावित हैं ।

- पाँच जनपदों – संत कबीरनगर, संत रविदासनगर, श्रावस्ती, औरैया एवं बलरामपुर में जिला चिकित्सालयों का निर्माण किया जायेगा तथा कानपुर नगर में 100 शैय्या वाले चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी ।

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 35 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 125 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों तथा 92 नये राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी ।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग दो सौ छिहत्तर

करोड़ रुपये (276 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में निर्माण कार्यों तथा उपकरणों के क्रय के लिए लगभग दो सौ छियासी करोड़ रुपये (286 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगी ।

शान्ति व्यवस्था

व्यक्ति और समाज के विकास की सम्भावनाओं को मजबूत बनाने के लिये सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अन्याय–मुक्त, अपराध–मुक्त, भय–मुक्त, भ्रष्टाचार–मुक्त एवं विकास–युक्त वातावरण उत्पन्न करके प्रदेश के हर क्षेत्र में "कानून द्वारा कानून का राज" कायम करना है । सरकार प्रदेश से कई वर्षों से व्याप्त जंगल राज को जड़ से खत्म करने के लिए कृत्संकल्प है । इसके लिये पुलिस अधिकारियों को राजनैतिक या किसी भी तरह के दबाव से मुक्त होकर काम करने का पूरा मौका दिया गया है ।

कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर अदालत से जमानत प्राप्त कर लेने वाले शातिर अपराधियों के

विरूद्ध रासुका, गुण्टा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

भू–माफियाओं तथा ठेकेदार माफियाओं को चिन्हित करके उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी स्तर पर न कोई सुरक्षा प्रदान की जायेगी और न ही हथियार के लाइसेंस दिये जायेंगे ।

पुलिस में सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त कराने के उद्देश्य से जनपदों में निरीक्षण प्रभारी एवं थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 30 प्रतिशत और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा समाज के अन्य सभी वर्गों को मिलाकर 70 प्रतिशत पदों पर तैनाती करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में धर्म के नाम पर दंगा–फसाद नहीं होने दिया जायेगा और साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

आतंकवादी गतिविधियों उदाहरणतः, नक्सलवाद, माओवाद, आई.एस.आई. तथा तस्करी के विरूद्ध कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं ।

महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार तथा अनादर एवं उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाते हुये ऐसा भयमुक्त वातावरण बनाया जायेगा ताकि वे रात्रि के समय भी घरों के बाहर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें ।

अपराधियों के मन में जब तक अदालतों, पुलिस तथा जेल का भय नहीं होगा, तब तक कानून व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता । जेल प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि कारागार विभाग, प्रमुख सचिव, गृह के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा । इससे पुलिस व जेल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा । कठोर नियंत्रण के लिए कुछ चयनित जेलों में वरिष्ठ एवं सुयोग्य पुलिस अधिकारियों को डी.आई.जी. जेल के रूप में तैनात किया जा रहा है ।

जेलों में मोबाइल फोन जैमर व सी.सी.टी.वी. लगाये जाने के लिए पाँच करोड़ रुपये (5 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है । कतिपय जनपदों में विद्यमान जेल शहर की आबादी के बीच में आ गये हैं । ऐसे जनपदों में नई जेलों का निर्माण शहर की आबादी के बाहर कराया जायेगा । इसके लिए बजट में पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

वर्ष 2007–08 के बजट में पुलिस विभाग के लिये तीन हजार पाँच सौ नौ करोड़ रुपये (3,509 करोड़ रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है । पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये एक सौ अस्सी करोड़ रुपये (180 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्ति में अपनी राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके

माध्यम से व्यापारकर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्रीकर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है ।

व्यापारकर

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में व्यापारकर का सर्वाधिक योगदान है । राज्य के स्वयं के कर राजस्व के 60 प्रतिशत अंश की प्राप्ति केवल व्यापारकर से होती है ।

वर्ष 2007–08 में व्यापारकर से लगभग सत्रह हजार तीन सौ चौदह करोड़ रुपये (17,314 करोड़ रुपये) की प्राप्ति अनुमानित है । लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुशल कर संग्रहण के साथ–साथ करापवंचन पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जाना आवश्यक है ।

करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग में 83 सहायता केन्द्र, 10 रेलवे सहायता केन्द्र, 55 सचल दल इकाईयाँ तथा 38 विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयाँ कार्यरत हैं ।

स्टाम्प एवं निबंधन

स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क राज्य के कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से चार हजार दो सौ छिहत्तर करोड़ रुपये (4,276 करोड़ रुपये) की प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

निबन्धन विभाग द्वारा पक्षकारों के मध्य विभिन्न प्रकार के लेख–पत्रों का निबन्धन किया जाता है ।

इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, आधुनिक एवं सरल बनाने तथा जन सामान्य को और अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु विभागीय कार्य कम्प्यूटर से कराये जायेंगे ।

आबकारी

वित्तीय वर्ष 2007–08 में आबकारी शुल्क से चार हजार एक सौ बानवे करोड़ रुपये (4,192 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण करना आवश्यक है । यह पाया गया है कि आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व की कमी का मुख्य कारण प्रदेश में स्थित आसवनियों द्वारा बिना आबकारी शुल्क अदा किये हुये अपनी उत्पादित मदिरा को नकली होलोग्राम लगाकर बाहर भेजना रहा है । इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आसवनियों से थोक विक्रेता तक मदिरा पहुँचाने का कार्य किसी सहकारी संस्था अथवा सरकारी निगम से कराया जायेगा ।

परिवहन

वर्ष 2007–08 में मोटर वाहन तथा यात्रीकर से एक हजार पाँच सौ तैंतीस करोड़ रुपये (1,533 करोड़ रुपये) की प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के मध्य सड़क परिवहन, जो पिछले कई महीनों से अवरूद्ध पड़ा हुआ

था, को हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास कर फिर से प्रारम्भ कराया गया ।

वर्ष 2007–08 में दो हजार नयी बसें क्रय करने का लक्ष्य है।

मनोरंजन कर

वर्ष 2007–08 में मनोरंजन कर से प्राप्तियों का लक्ष्य एक सौ सैंतीस करोड़ रुपये (137 करोड़ रुपये) रखा गया है ।

इस वित्तीय वर्ष में मनोरंजन कर विभाग की मुख्य प्राथमिकता बन्द सिनेमा घरों को पुनः संचालित कराने, अधिक से अधिक संख्या में मल्टीप्लेक्स संचालित कराने तथा मनोरंजन के साधनों में जनता को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की होगी ।

ग्राम्य विकास

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये कई रोजगारपरक योजनायें तथा ग्रामीण अवस्थापना के विकास की योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ।

डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेगें । इस योजना के लिये बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है । आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, जो 39 जनपदों में चलायी जा रही है, को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जायेगा । वर्ष 2007–08 के बजट में इस योजना के राज्यांश के लिये दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2007–08 में 31 जनपदों में चलाई जायेगी, जिसके लिये एक सौ नब्बे करोड़ रुपये (190 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में लगभग तीन लाख परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये छियानवे करोड़ रुपये (96 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पंचायतीराज

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय मात्र एक हजार दो सौ रुपये (1,200 रुपये) की अनुमन्य सहायता को राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन के रूप में बढ़ाकर एक हजार पाँच सौ रुपये (1,500 रुपये) किया गया है । प्रदेश को वर्ष 2012 तक खुले में शौचमुक्त प्रदेश घोषित करने की योजना है ।

सहकारिता

वर्ष 2007–08 में सहकारी बैकों के माध्यम से अल्पकालिक फसली ऋण के वितरण हेतु दो हजार

दो सौ अस्सी करोड़ रुपये (2,280 करोड़ रुपये) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें खरीफ हेतु निर्धारित लक्ष्य एक हजार एक सौ करोड़ रुपये (1,100 करोड़ रुपये) है ।

वर्ष 2007–08 में उर्वरक वितरण हेतु तीस लाख पचास हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें खरीफ हेतु निर्धारित लक्ष्य तेरह लाख तैंतीस हजार मीट्रिक टन है ।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसली ऋण 6 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2007–08 के बजट में ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत सड़सठ करोड़ रुपये (67 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

हमारी सरकार द्वारा पुरानी चीनी नीति, जिसका वास्तविक लाभ गन्ना उत्पादकों को नहीं मिला, को निरस्त करते हुए नई चीनी नीति बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे न केवल गन्ना किसानों को लाभ प्राप्त होगा अपितु चीनी उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

हमारी सरकार ने अनवरत घाटा देने वाली सहकारी क्षेत्र व राज्य चीनी निगम की रूग्ण चीनी मिलों के निजीकरण का सैद्धान्तिक निर्णय लिया है ताकि राज्य के वित्तीय संसाधन अनुत्पादक मिलों पर व्यर्थ न जायँ ।

दुग्ध विकास

डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना, जो 40 जनपदों में चलाई जा रही है, को समस्त 70 जनपदों में लागू किया जाना प्रस्तावित है । डेरी सेक्टर में लगभग एक लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में लगभग साठ करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लगभग सवा दो लाख निःशुल्क बोरिंग कराये जाने का लक्ष्य है ।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2007–08 में लगभग एक सौ अठहत्तर करोड़ रुपये (178 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत कठिन एवं दुर्लभ क्षेत्रों में 14 नलकूप निर्माण कराने का लक्ष्य है ।

ऊर्जा

वर्तमान में बिजली की भारी कमी की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन योजनायें बनाई गई हैं ।

करोड़ रुपये (505 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष की बजट व्यवस्था से पाँच गुने से भी अधिक है ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लिए नई शहरी आवास नीति बनाई जायेगी । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में विकसित योजनाओं में समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों हेतु न्यूनतम 20–25 प्रतिशत विकसित भूमि आरक्षित किये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जायेगी ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रदेश की लगभग सात हजार मलिन बस्तियों के निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं । सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल, जल प्रवाहित शौचालय, स्वास्थ्य, आश्रय एवं स्वरोजगार आदि सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु योजनायें संचालित की जा रही हैं ।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदेश में शरीर पर मैला ढोने की कुप्रथा को जड़ से समाप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में एक लाख शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में लगभग साढ़े छः लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग

वित्तीय वर्ष 2007–08 में तीस हजार बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा 60 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत पाँच हजार बुनकरों को रोजगार देकर लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

खादी एवं ग्रामोद्योग

वर्ष 2007–08 में छः हजार नई ग्राम उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अड़तालिस हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगें । योजना के अधीन अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को भी समुचित रोजगार के अवसर सुलभ होंगे ।

"ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम" के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में दो हजार इकाईयों की स्थापना कराकर छत्तीस हजार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रदेश के नागरिकों को सुलभ, गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है । जापानी इन्सेफ्लाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए 11 अतिसंवेदनशील जनपदों को चिन्हित करते हुए टीकाकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

इस वर्ष 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 674 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को उपचार की सुविधा देने के लिए विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत लगभग 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की योजना है । साथ ही प्रदेश में 4,512 उप केन्द्रों का भवन निर्माण कराया जायेगा ।

प्रदेश के अतिदूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा देने के लिए 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

चिकित्सा शिक्षा

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संविलीन करते हुए पूर्व की भाँति दंत संकाय के रूप में स्थापित किया गया है । शताब्दी अस्पताल के भवन को शीघ्र पूरा कराकर इसे जन उपचार के लिए खोल दिया जायेगा ।

भवनों के निर्माण तथा उपकरणों आदि की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में पाँच सौ पन्द्रह करोड़ रुपये (515 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

प्राथमिक शिक्षा

इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिये लगभग नौ हजार छिहत्तर करोड़ रुपये (9,076 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो पिछले वर्ष की गई व्यवस्था सात हजार एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये (7,135 करोड़ रुपये) से 27 प्रतिशत अधिक है ।

वर्ष 2007–08 में असेवित बस्तियों में आठ सौ तेरह नये प्राथमिक विद्यालय तथा लगभग साढ़े चार हजार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे । बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए अड़तीस हजार से अधिक कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा ।

डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी के निर्माण के लिये लगभग बत्तीस करोड़ रुपये (32 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के सभी जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान के लिए लगभग एक हजार चार सौ अस्सी करोड़ रुपये (1480 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

माध्यमिक शिक्षा

जिन विकास खण्डों में मानक से कम माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ मानक के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा परिषदीय मानक / शर्तों के अनुसार माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की नई योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में दस करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

व्यावसायिक शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए सात करोड़ रुपये (7 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

उच्च शिक्षा

शैक्षिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये ऐसे विकास खण्डों, जिनमें कोई महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत लगभग चार हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये (4,986 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है। इसमें लगभग दो हजार दो सौ सत्तर करोड़ रुपये (2,270 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित हैं ।

विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण अवस्थापना, कृषि तथा लाभार्थी आधारित योजनायें संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के सबसे पिछड़े तबके का सम्पूर्ण विकास सम्भव हो सके ।

इस वर्ष चयनित होने वाली डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सड़कों तथा लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था रखी गयी है ।

डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सड़कों तथा लघु सेतुओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिये चार सौ करोड़ रुपये (400 करोड़ रुपये) की व्यवस्था भी की गई है ।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु तीन सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (377 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है ।

प्रदेश के अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये "एकीकृत विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, आवास, पेयजल, सम्पर्क मार्ग और कृषि उत्थान और रोजगार कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे । इस योजना के लिये सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र एवं छात्राओं को वर्ष 2007–08 में लगभग एक सौ तेईस करोड़ रुपये (123 करोड़ रुपये) की छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी ।

मदरसों में गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों के अध्यापन हेतु मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत लगभग बयालिस

करोड़ रुपये (42 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के छात्रों को अधिक से अधिक शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग आठ सौ तिरसठ करोड़ रुपये (863 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है, जिससे दो करोड़ से कुछ अधिक छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा ।

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में चौवन करोड़ रुपये (54 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश में वादों के निस्तारण में गति लाने हेतु प्रथम चरण में 23 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

वन

वर्तमान में प्रदेश का 9.06 प्रतिशत भू–भाग वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है । अतः वनावरण एवं वृक्षावरण के विस्तार की आवश्यकता है ।

जन सहभागिता के द्वारा वनावरण एवं वृक्षावरण विस्तार हेतु ऑपरेशन ग्रीन नामक नई योजना प्रारम्भ की गई है । विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड में बांस रोपण की नई विशेष योजना तथा पौधशाला प्रबन्धन की नई

योजना को विशेष महत्व दिया गया है । वन क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु सर्वे व सीमांकन नामक नई योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत वन क्षेत्र की सीमा पर सीमांकन कराकर सीमा स्तम्भ स्थापित किया जायेगा ।

इन नई योजनाओं के अन्तर्गत झादी ताल संरक्षण एवं सुहेली नदी को गहरा कर दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा को जल प्लावित होने से बचाने सम्बन्धी व्यवस्था की गई है । वृक्षावरण के विस्तार हेतु 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना प्रारम्भ की जा रही है । वन क्षेत्र के समीप रहने वाली आबादी एवं वन्य जन्तु के बीच में बढ़ते द्वन्द्व की समस्या के निराकरण हेतु मानव पशु संघर्ष के निवारण की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है ।

इस वर्ष वन की योजनाओं के लिये चार सौ उन्नीस करोड़ रुपये (419 करोड़ रुपये) का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है ।

पर्यावरण

पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपघटित स्थलों, जलराशियों, पार्कों एवं अन्य चयनित स्थलों के पारिस्थितिकीय विकास के संबंध में शोध कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । लघु उद्योगों में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु दक्ष एवं कम लागत वाली

प्रौद्योगिकी के विकास हेतु शोध को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ।

राजस्व

ग्राम सभा तथा ग्राम सीलिंग की अवशेष कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन गरीब पात्र व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर वितरित किया जायेगा ।

प्रदेश के मण्डलों, जनपदों तथा तहसीलों के राजस्व भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में लगभग एक सौ बावन करोड़ रुपये (152 करोड़ रूपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान सृजित नये जनपदों और मण्डलों को पिछली सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था । इन नवसृजित जनपदों और मण्डलों को पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है । इन जनपदों और मण्डलों में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जायेगा ।

नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि, आवास स्थल, मछली पालन, कुम्हारी कला स्थल आवंटन के कार्यक्रम सघन रूप से चलाये जा रहे हैं ।

2007–2008 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगी ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2007–08 में निन्यानवे हजार सात सौ नौ करोड़ उन्तीस लाख रुपये (99,709.29 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में चौहत्तर हजार सत्रह करोड़ सत्तर लाख रुपये (74,017.70 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा पच्चीस हजार छः सौ इक्यान्वे करोड़ उनसठ लाख रुपये (25,691.59 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।
- वर्ष 2007–08 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेतर राजस्व का अंश बासठ हजार एक सौ पाँच करोड़ छब्बीस लाख रुपये (62,105.26 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश सत्ताईस हजार चार सौ उन्यासी करोड़ इक्कीस लाख रुपये (27,479.21 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2007–08 में कुल व्यय एक लाख नौ सौ ग्यारह करोड़ इकतालिस लाख रुपये (1,00,911.41 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में सड़सठ हजार आठ सौ इकहत्तर करोड़ अड़तीस लाख रुपये (67,871.38 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तैंतीस हजार चालीस करोड़ तीन लाख रुपये (33,040.03 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2007–08 के बजट में तीस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ बीस लाख रुपये (30,777.20 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2007–08 में घाटा एक हजार दो सौ दो करोड़ बारह लाख रुपये (1,202.12 करोड़ रुपये) है ।

लोक–लेखा से समायोजन

वर्ष 2007–08 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए एक हजार आठ सौ तेईस करोड़ आठ लाख रुपये (1,823.08 करोड़ रुपये) लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2007–08 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम छः सौ बीस करोड़ छियानवे लाख रुपये (620.96 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2007–08 में प्रारम्भिक शेष पाँच हजार चार सौ इक्यासी करोड़ सैंतालीस लाख रुपये (5,481.47 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष छः हजार एक सौ दो करोड़ तैंतालीस लाख रुपये (6,102.43 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर, समाज में आर्थिक समानता प्रदेश और देश की तरक्की के लिए लिए आवश्यक है । हमारा प्रयास होगा कि देश में पूँजी का विकास हो न कि पूँजीपतियों का । आर्थिक सुधार और प्रगति का सीधा लाभ आम जनता को भी मिलना चाहिए । महान मानवतावादी व संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर कहा करते थे कि इतिहास गवाह है कि जहाँ–जहाँ नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच मतभेद उभरे हैं वहाँ हर बार अर्थशास्त्र की जीत हुई है । इसे सूत्र मानते हुये प्रस्तुत बजट को न्याय, विकास और अनुशासन का वाहक बनाने का प्रयास किया गया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार बजट प्रावधानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उन रूपयों का पाई–पाई सही तरीके से खर्च कराने का सख्ती से प्रयास करेगी ।

विकास और सुरक्षा का मूलभूत आधार बेहतर प्रशासनतन्त्र है, इसलिए सरकार प्रदेश की जनता को एक स्वच्छ एवं पारदर्शी तथा जवाबदेह प्रशासनतन्त्र देने के लिए काम करेगी । प्रशासनतन्त्र को पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ एवं गैर–राजनीतिक तथा जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा ।

मंत्रि–परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों की मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकी हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री शेखर अग्रवाल और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करती हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करती हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2007–08 का प्रदेश का बजट एवं दो मास का लेखानुदान प्रस्तुत करती हूँ ।

आषाढ़, 8 शक सम्वत् 1929,
तद्नुसार,
दिनाँक 29 जून, 2007